



उद्योग संचालनालय

मध्यप्रदेश शासन

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग

क्रमांक: 5/स्वरो/5(3-ब)2017/4527

भोपाल, दिनांक 21/07/2022

प्रति,

संयोजक,
एसएलबीसी उप समिति (एमएसएमई),
पंजाब नेशनल बैंक,
आंचलिक कार्यालय, अरेरा हिल्स,
भोपाल।

विषय:- मुख्यमंत्री उद्यम क्रान्ति योजनान्तर्गत हितग्राहियों के EDP प्रशिक्षण के संबंध में।

संदर्भ:- दिनांक 28.06.2022 को आयोजित एसएलबीसी उप समिति की बैठक।

--००--

विषयान्तर्गत दिनांक 28.06.2022 को आयोजित एसएलबीसी उप समिति की बैठक में कुछ बैंको द्वारा विभाग से स्पष्टीकरण चाहा था कि क्या मुख्यमंत्री उद्यम क्रान्ति योजनान्तर्गत हितग्राहियों का EDP प्रशिक्षण अनिवार्य है?

उपरोक्त संबंध में अवगत किया जाता है कि मुख्यमंत्री उद्यम क्रान्ति योजनान्तर्गत हितग्राही के लिये ऋण स्वीकृति अथवा वितरण से पूर्व EDP प्रशिक्षण लिये जाने की कोई अनिवार्यता नहीं है, तथापि जिन हितग्राहियों ने कभी EDP प्रशिक्षण नहीं लिया है और वे इस प्रकार का प्रशिक्षण लेने के इच्छुक हैं ऐसे हितग्राहियों के लिये विभाग द्वारा ऑनलाईन EDP ट्रेनिंग पोर्टल विकसित किया जा रहा है, जिसे शीघ्र ही विभाग की Website पर उपलब्ध कराया जायेगा।

कृपया समस्त बैंकों को उपरोक्तानुसार अवगत कराने का कष्ट करें।

उद्योग आयुक्त,
मध्यप्रदेश

क्रमांक: 5/स्वरो/5(3-ब)2017/4528

भोपाल, दिनांक 21/07/2022

प्रतिलिपि:-

- 1- संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, अरेरा हिल्स भोपाल।
- 2- आयुक्त, संस्थागत वित्त, विंध्याचल भवन, भोपाल।

उद्योग आयुक्त,
मध्यप्रदेश

उद्योग संचालनालय, म.प्र.
(सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग)

पृ. क्रमांक: 5/स्वरो/5(3-ब)2017/ 4529

भोपाल, दिनांक 21/07/2022

- 1- प्रभारी संयुक्त संचालक उद्योग, समस्त परिक्षेत्रीय कार्यालय, मध्यप्रदेश।
- 2- महाप्रबंधक, समस्त जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, मध्यप्रदेश।



उप संचालक

उद्योग संचालनालय, म.प्र.